उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-714/2021/4519/41-2021-213(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

संख्या-690/2021/आई/118817/41-1002(001)/139/2021, दिनांक 02.12.2021

का शुद्धि पत्र

उप निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-5361/6-1-1/(1334)/2020-21, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद वाराणसी के ग्राम कैथी में गंगा नदी के किनारे पर मारकण्डेय महादेव घाट से संगम घाट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-690/2021/आई/118817/41-1002(001)/139/2021, दिनांक 02.12.2021 के पृष्ठांकन के क्रम संख्या-5 पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **जवाहर भवन**, **लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी** अंकित हो गयी है। जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **वाराणसी** अंकित होना चाहिए था।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-690/2021/आई/118817/41-1002(001)/139/2021, दिनांक 02.12.2021 के पृष्ठांकन के क्रम संख्या-5 पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्ब:न्धित कोषाधिकारी के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **वाराणसी** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी
6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
7- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, विन्ध्याचल, उ0प्र0।
10- अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वाराणसी, उ0प्र0।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
12- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्याचल ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।